अतिआवश्यक / रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–ई / चिअ / राजपत्रित / प्रीपीजी–2024 / 2024 / 48 दिनांक 13/02/2024

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर / ब्यावर / डीडवाना–कुचामन /
केकडी / प्रतापगढ / डीग / धौलपुर /
गंगापुर सिटी / अनुपगढ / हनुमानगढ /
श्रीगंगानगर / अलवर / दौसा / जयपुर प्रथम /
खैरथल / कोटपूतली–बहरोड / बालोतरा /
फलोदी / जैसलमेर / जोधपुर / झालावाड / संचोर /
सिरोही / राजसमंद / सलूम्बर।

विषयः–स्पष्टीकरण बाबत्।

संदर्भः–निदेशालय के पत्रांक 20 दिनांक 19.01.2024 एवं पत्रांक 36 दिनांक 01.02.2024 के क्रम मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी रिमोट, डिफिकल्ट एवं ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों हेतु अधिसूचना दिनांक 14.04.2020, दिनांक 28.06.2021, दिनांक 18.05.2022, दिनांक 16.08.2022 एवं दिनांक 05.04.2023 में यदि किसी प्रकार का संशोधन करवाये जाने, इन्द्राज करवाये जाने अथवा हटवाये जाने की सूचना क्रमशः फॉर्म 'अ' 'ब' एवं 'स' में दिनांक 29.01.2024 एवं तत्पश्चात् दिनांक 09.02.2024 तक चाही गई थी। परन्तु आपके कार्यालय से उक्त सूचना समय पर नही भिजवाई है। उक्त सूचना के संबंध में आपको बार–बार निर्देशित करने के पश्चात भी सूचना नही भिजवाने का कारण यह प्रतीत होता है कि राजकार्य मे आपके द्वारा उदासीनता / लापरवाही की गई है।

अतः इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण तत्काल प्रस्तुत करते हुए उक्त सूचना आज ही इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। अन्यथा आपके विरूद्ध राजकार्य में उदासीनता / लापरवाही करने के कारण सीसीए नियम के तहत कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

–Sd–

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–ई / चिअ / राजपत्रित / प्रीपीजी–2024 / 2024 / 48 दिनांक 13/02/2024

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, जोन–अजमेर / भरतपुर / बीकानेर / जयपुर / कोटा / उदयपुर / जोधपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करावे।
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर